बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक–प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)–38 / 2024 35 (सं0प्र0) खाद्य, पटना / दिनांक 26-10-26

प्रेषक,

विभूति रंजन चौधरी (भा0प्र0से0),
निदेशक–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

समाहर्त्ता– बक्सर, सहरसा, अरवल, भोजपुर, जमुई, किशनगंज, शिवहर, शेखपुरा, कैमूर, सुपौल, एवं बांका, बिहार।

विषयः– मांग सं0–18, मुख्य शीर्ष–3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष–0411 उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम **विपत्र कोड 18–3456001020411 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु कुल 7,85,000 / –(सात लाख पचासी हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के निमित उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश सं0–297 दिनांक–13.10.2026 एवं संख्या–296 दिनांक–13.10.2026 में क्रमशः अंकित राशि रुपये 3,55,000 / – एवं रुपये 4,30,000 / – को वित्त विभाग के पत्रांक–2561 / वि0 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–926 / वि0 दिनांक–31.07.2026 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–27 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत **संलग्न तालिका के अनुसार मदवार कुल 7,85,000 / –(सात लाख पचासी हजार) रुपये मात्र** कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :–

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	वर्तमान उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
01	16 प्रकाशन एवं मुद्रण	01 प्रकाशन एवं मुद्रण	3,55,000	3,55,000
	योग–18–3456.00.102.0411.16– प्रकाशन एवं मुद्रण		**3,55,000**	**3,55,000**
02	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	4,30,000	4,30,000
	योग–18–3456.00.102.0411.26–विज्ञापन और प्रकाशन		**4,30,000**	**4,30,000**
	कुल योग–18–3456.00.102.0411–उपभोक्ता जागरूकता कार्यालय		**7,85,000**	**7,85,000**

2. **कुल 7,85,000 / –(सात लाख पचासी हजार) रुपये मात्र** का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0	जिला कार्यालय का नाम	प्रकाशन एवं मुद्रण 16 01	विज्ञापन और प्रकाशन 26 01	योग
1	2	3	4	5
01	समाहर्त्ता, बक्सर	70000	0	**70000**
02	समाहर्त्ता, सहरसा	70000	0	**70000**
03	समाहर्त्ता, अरवल	70000	0	**70000**
04	समाहर्त्ता, भोजपुर	70000	0	**70000**
05	समाहर्त्ता, जमुई	75000	0	**75000**
06	समाहर्त्ता, किशनगंज	0	70000	**70000**
07	समाहर्त्ता, शिवहर	0	70000	**70000**
08	समाहर्त्ता, शेखपुरा	0	70000	**70000**
09	समाहर्त्ता, कैमूर	0	70000	**70000**
10	समाहर्त्ता, सुपौल	0	70000	**70000**
11	समाहर्त्ता, बाँका	0	80000	**80000**
	कुल योगः–	**355000**	**430000**	**785000**

3. संबंधित सभी जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ जिला आपूर्ति पदाधिकारी को राशि उपावंटित करेगें।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. **यह राशि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता जागरूकता हेतु दिया गया अनुदान है। इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में हीं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता अधिकारो को जन–मानस तक पहुँचाने के लिए जिलों में होर्डिंग लगाने अथवा पम्पलेट इत्यादि वितरण का कार्य संपादित करने के निमित किया जायेगा। इसके इतर राशि का व्यय नहीं किया जायेगा।**

6. **राशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक रूप** से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें ताकि प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर **समेकित रुप से उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को प्रेषित किया जा सके।**

विश्वासभाजन,

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)–38/2024 35 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)–38/2024 35 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-2026

प्रतिलिपिः–संबंधित सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।

ज्ञापांक–प्र05(2)बजट आवंटन(उप0जाग0)–38/2024 35 (बजट) खाद्य, पटना/दिनांक 26-10-2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, बिहार/विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी 05 एवं 14, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव कोषांग, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/10/26

निदेशक–सह–विशेष सचिव।